

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

मुख्यार कौर

बनाम

सुरजीत कौर

किस्म मुकदमा :-प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट
व 2015/00160

मु.नं. एवं सन 85/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
17-03- 2020	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उभयपक्ष की प्रार्थना पर खाता-विभाजन हेतु प्रस्ताव मंगवाने के आदे। हो चुके है अतः पूर्व में जारी अस्थाई निशेधाज्ञा को ताफैसला स्थायी कर दिया जावे। इसका वकील अप्रार्थी ने कोई विरोध नहीं किया अतः प्रकरण में पूर्व अस्थाई व्यादे। को ताफैसला स्थायी किया जाता है। पत्रावली फैल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	